केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
Baba Gangnath Marg, Munirka
नई दिल्ली, **New Delhi – 110067**

द्वितीय अपील संख्या / Second Appeal No. **CIC/UTOAN/A/2017/183482/MINES**

श्री मुकेश कुमार ....अपीलकर्ता/Appellant

VERSUS
बनाम

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, राँची,
झारखंड। ....प्रतिवादीगण/Respondents

सुनवाई के दौरान अपील/शिकायत से प्राकट्य सुसंगत तथ्य

आरटीआई : 21.04.2017	**प्रथम अपील**: 27.06.2017	**द्वितीय अपील** : 06.09.2018
के.ज.सू.अधि.:19.05.2017	**प्र.अ.आ.** : 27.07.2017	**सुनवाई की तिथि**: 19.02.2019

आदेश

1. प्रार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दाखिल अपने उक्त आवेदन, जो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो को प्रेषित किया गया था, के माध्यम से वर्ष 2017 में 01 मार्च से 15 अप्रैल तक कार्यालय में केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सरकारी एवं प्राईवेट एजेंसियों को भेजे गए और प्राप्त किये गए समस्त पत्रों की छायाप्रतियों तथा इनवार्ड और आउटवार्ड रजिस्टर की प्रति की मांग की थी।

2. संचिका में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, जन सूचना अधिकारी, ने प्रार्थी को यह सूचित किया कि वांछित सूचना को प्रदान किये जाने से तृतीय पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को खतरा उत्पन्न हो सकता है और उक्त सूचना के प्रकटन में कोई बृहत्तर लोकहित भी निहित नहीं है। अतः वांछित सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम के अध्याय 11, धारा 8(डी), 8(ई) के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है। प्राप्त जवाब से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील संस्थित की। प्रथम अपीलीय

भारतीय खान ब्यूरो
क्र० 5855 दिनांक 13.3.19

अधिकारी ने अपने आदेश में जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना को सही ठहराया। आयोग को प्रेषित अपने द्वितीय अपील में प्रार्थी ने आयोग से न्याय हित में उचित आदेश या निर्देश पारित करने का अनुरोध किया है।

सुनवाई :

3. **सुनवाई के दौरान प्रार्थी एनआईसी के राँची स्टूडियो में उपस्थित थे। प्रतिवादी पक्ष से श्री** नमन एक्का, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एनआईसी के राँची स्टूडियो में उपस्थित हुए।

4. प्रार्थी ने बताया कि जन सूचना अधिकारी ने उनके द्वारा वांछित सूचना/दस्तावेजों की प्रतियां इस दलील के साथ प्रदान करने से मना कर दिया है कि वांछित सूचना को प्रदान किये जाने से तृतीय पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को खतरा उत्पन्न हो सकता है और उक्त सूचना के प्रकटन में कोई बृहत्तर लोकहित भी निहित नहीं है। अतः वांछित सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम के अध्याय 11, धारा 8(डी), 8(ई) के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रार्थी की दलील थी कि सभी पत्राचार तृतीय पक्ष के निजी मामलों से संबंधित नहीं हो सकते हैं। यह भी संभव नहीं है कि सभी पत्र तृतीय पक्ष के वाणिज्यिक विश्वास से संबंधित सूचना के हैं। इस प्रकार वांछित सूचना गलत तरीके से प्रदान करने से इनकार किया गया है।

5. आयोग द्वारा पूछे जाने पर प्रतिवादी पक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी के आवेदन में इंगित की गयी अवधि के दौरान लगभग 150–175 पत्र होंगे। इनमें से कुछ पत्र अन्य व्यक्तियों को दिये गए कारण बताओ नोटिस उनके जवाब आदि से संबंधित हैं तो कुछ संसदीय प्रश्नों के जवाब आदि से संबंधित हैं। आयोग द्वारा यह पूछे जाने पर कि भेजे गए तथा प्राप्त किये गए ऐसे पत्रों की प्रतियां, जो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, प्रदान करने में जन सूचना अधिकारी को क्या आपत्ति है, प्रतिवादी पक्ष ने स्पष्ट किया कि उन्हें प्रदान किया जा सकता है।

निर्णय:

6. संचिका में उपलब्ध तथ्यों तथा सुनवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी दलील के आलोक में आयोग की मान्यता है कि जन सूचंना अधिकारी ने वांछित सूचना प्रदान करने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया है। आयोग प्रार्थी की इस दलील से सहमति प्रकट करता है कि बहुत सारे पत्राचार लोकहित के सामान्य मामलों से संबंधित हो सकते हैं। यह भी संभव नहीं है कि सारे पत्राचार केवल उन्हीं मामलों से संबंधित हैं, जिनका प्रकटन तृतीय पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक

स्थिति को हानि पहँचा सकता हो। अतः आयोग केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को यह निर्देश देता है कि प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 4 सप्ताह के अंदर आवेदन में इंगित की गयी तिथि के दौरान क्षेत्रीय खान **नियंत्रक का कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो, राँची द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के** विभिन्न विभागों, सरकारी एवं प्राईवेट एजेंसियों को भेजे गए और उनसे प्राप्त किये गए वैसे पत्रों की प्रतियां, जिनका प्रकटन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(डी) अथवा (ई) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधित है, को छोड़कर शेष पत्रों की प्रतियां प्रार्थी को निःशुल्क प्रेषित करें।

7. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

8. निर्णय की प्रति सभी पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

Sd/-
Sudhir Bhargava **(सुधीर भार्गव)**
Chief Information Commissioner **(मुख्य सूचना आयुक्त)**
Date/दिनांक 20.02.2019

Authenticated True Copy
(अभिप्रमाणित सत्यापित प्रति)

S. S. Rohilla **(एस. एस. रोहिल्ला)**
Dy. Registrar **(उप-पंजीयक)**
011-26186535/ do.cicsb@cic.nic.in

Addresses of Parties:

1. The Central Public Information Officer
   Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines,
   318/B, Ashok Nagar, Road No. 3, Ranchi.
   Jharkhand. Pin – 834 002

2. Shri Mukesh Kumar
   C/o D. N. Yadav, Haidar Ali Lane,
   Kokar, Ranchi, Jharkhand.